संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)
Phone (0522)-2668700, 2668800, 2668900 Fax-(0522)- 2668017, 2668129

पत्र सं0–पीजीआई/अधि/आर0एस0डी– 383 / 67401F /2019 दिनांक01/7/, 2019

कार्यालय आदेश

श्री दिलीप सिंह, सहायक लेखाकार द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 01.01.2019 के द्वारा निम्नवत् अनुरोध किया गया था:–

This is in reference to the above quoted subjected regarding the cancellation of G.O. No. 3193/71-2-2016-Pee-41/2016 dated 10/2/2017 through the ***enclosed*** order 1414/71-2-2018-Pee-41/2016 dated 25/5/2018. It is also to mention here that the above letter clearly instructed that an amended restructuring of Finance & Accounts Cadre and others as per rules has to be submitted **within one month** after the approval of Governing body of Institute.

In spite of above important instruction/order of विशेष सचिव, Medical Education -2, UP Government, the restructuring of Finance & Account Cadre is yet to be approved by GB & submit to UP Government for necessary Government Order as far as our knowledge.

We the applicants are seeking **a single promotion** for last **29 years** out of **remaining 4 years of services** in SGPGIMS but all our efforts have gone in vain till date.

This is also to inform that a writ was filled by Shri S.K. Asthana to challenge against cancellation of above GO ref. writ 22227 of 2017 (Service Bench) which was dismissed by the Honourable High Court on 25/7/2018 ***(enclosed)*** since withdrawn by UP Government, it has done 5 months back.

Prayer:

In pursuance of Letter of No. 1414/71-2-2018-Pee-41/2016 dated 25-05-2018 issued by विशेष सचिव, Medical Education-2, UP Government, if not compliance with 15 days, we shall have no othe option except to knock the door of Honourable High Court against uunecessary delay to submit the restructuring with GB approval and no promotion to us for last 29 years.

उक्त के संदर्भ में श्री सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0–12628 आफ 2019 दायर की गयी थी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.05.2019 में निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:–

"Accordingly, without entering into the merits of the case, the writ petition is disposed off with a direction to respondent no-2 to decide the representation of the petitioner dated 01-01-2019 by bassing a speaking and reasoned order strictly in accordance with law, rules and the procedure prescribed within a period of six weeks from the date of receipt of a certified copy of this order."

प्रकरण के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है:–

1. संस्थान द्वारा वित्त एवं लेखा विभाग का कैडर स्ट्रक्चर करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित किया गया था। वित्त एवं लेखा विभाग का कैडर स्ट्रक्चर की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा संस्थान के वित्त एवं लेखा संवर्ग का पुनर्गठित ढाँचा शासनादेश दिनांक 16 फरवरी, 2017 द्वारा स्वीकृत किया गया था।
2. वित्त एवं लेखा संवर्ग का पुनर्गठित ढाँचा शासनादेश दिनांक 16 फरवरी, 2017 एम्स नई दिल्ली के वित्त एवं लेखा संवर्ग के समतुल्य न होने के दृष्टिगत इस संबंध में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 16.02.2017 को शासनादेश दिनांक 25 मई, 2018 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था।
3. वित्त एवं लेखा विभाग के पुनर्गठन ढाँचा निरस्तीकरण संबंधी निर्गत शासनादेश दिनांक 25 मई, 2018 में यह आदेश पारित किये गये थे कि "संस्थान के समस्त संवर्गों के पुनर्गठन के साथ वित्त एवं लेखा संवर्ग के

Department of Biostatistics & Health Informatics DIARY No............ Dt............ SGPGIMS, LKO.

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute Of Medical Sciences
RAEBARELI ROAD, LUCKNOW-226014 (INDIA)
Phone (0522)-2668700, 2668800, 2668900 Fax-(0522)- 2668017, 2668129

अधिकारियों/कर्मचारियों के संवर्ग पुनर्गठन का नियमानुसार समुचित प्रस्ताव शासी निकाय से अनुमोदित कराकर, शासन को एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाए।"

4. संस्थान के गैर शैक्षणिक पदों हेतु कैडर स्ट्रक्चर के संबंध में परिपत्र सं0–पी0जी0आई0/अधि0/आरएसडी–9/16/53/2019 दिनांक 15.01.2019 के द्वारा गैर शैक्षणिक पदों हेतु संवर्ग संरचना का आलेख संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित करते हुए तदसंबंधी सुझाव व आपत्तियॉ मांगी गयी थीं। इस संबंध में प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों के कम में संस्थान के गैर शैक्षणिक पदों हेतु कैडर स्ट्रक्चर के संबंध में पत्र दिनांक 31 जनवरी, 2019 एवं दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के द्वारा श्री एन0एच0 रिजवी, सेवानिवृत्त, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को कैडर स्ट्रक्चर किये जाने का कार्यभार सौंपा गया है। श्री एन0एच0 रिजवी द्वारा प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में विद्यमान संवर्ग संरचना आदि के आधार पर नान पैरामेडिकल पदो के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है तथा पैरामेडिकल पदो के संबंध में कार्य चल रहा है।
5. श्री रिजवी द्वारा प्रस्तुत संवर्ग संरचना संस्थान की प्राधिकारी समितियों की स्वीकृति एवं तत्कम में उ0प्र0 शासन की अनुमति से लागू किया जा सकेगा एवं तदनुसार प्राविधानित चयन प्रकिया के अनुसार श्री दिलीप सिंह की पदोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।
6. जहॉ तक श्री दिलीप सिंह, सहायक लेखाकार की पदोन्नति का प्रश्न है इस संबंध में अवगत कराना है कि वित्त एवं लेखा संवर्ग में उपलब्ध पदो के अनुरूप संस्थान द्वारा निर्धारित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नतियॉ प्रदान की जा रही हैं। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 01.01.2018 द्वारा श्री दिलीप सिंह के वरिष्ठ कर्मी श्री राजेश कुमार की पदोन्नति की जा चुकी है। भविष्य में पद की रिक्तता के आधार पर श्री दिलीप सिंह की पदोन्नति संभव हो सकेगी। श्री दिलीप सिंह, सहायक लेखाकार को (ए0सी0पी0एस0/एम0ए0सी0पी0एस0) सुनिश्चित स्त्ररोन्नयन का लाभ अनुमन्यता की तिथि से कार्यालय ज्ञाप सं0–7068/पी0जी0आई0/डीआईआर/डीसी/2012 दिनांक 30.04.2012 से अनुमन्य कराया जा चुका है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.05.2019 के समादर में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, तदनुसार श्री दिलीप सिंह का प्रत्यावेदन दिनांक 01.01.2019 को निस्तारित किया जाता है।

(प्रो0 राकेश कपूर)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1. श्री दिलीप सिंह, सहायक लेखाकार को उपरोक्त प्रत्यावेदन के संदर्भ में।
2. श्री एन0एच0 रिजवी, सेवानिवृत्त, विशेष सचिव, पी0जी0आई0/उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर निदेशक, पी0जी0आई0।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशा0), को इस आशय से उपरोक्त कार्य में यथासंभव सहयोग/अभिलेख श्री रिजवी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, को इस आशय से उपरोक्त कार्य में यथासंभव सहयोग/अभिलेख श्री रिजवी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी, विधि प्रकोष्ठ।
7. गार्ड फाइल ।

8: [illegible]

(प्रो0 राकेश कपूर)
निदेशक

6/7/19

SAO